



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ओं. - जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)

Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain - 456006 (M.P.)

प.सं. 17-3/2026(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/

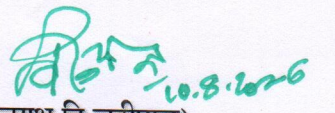
दिनांक 10-08-2026

कार्यालय आदेश - 2111

प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / इकाइयों में वेदभूषण प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के राष्ट्रीयकृत बैंक में अभिभावक संग संयुक्त बैंक खाते खुलवाने के सम्बन्ध में।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में वेदभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा 6टी) में छात्रों की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। नवीन प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की जांच करने पर यह संज्ञान में आया है, कि कई छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं खुलवाए गए हैं। अतः समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि

1. प्रतिष्ठान द्वारा छात्रों के एकल बैंक खातों में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित विद्यार्थियों की मासिक छात्र स्वतः व्यय राशि छात्रों के अभिभावक संग राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाता में ही PFMS के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
3. राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाता नहीं होने से PFMS द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान में कई बार तकनीकी समस्या आने से बैंक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाता है।
4. वेदभूषण प्रथम वर्ष (कक्षा 6टी) में प्रवेशित नवीन छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खुलवाएं।
5. अन्य प्रतिष्ठित निजी बैंकों जैसे ICICI, HDFC आदि में संयुक्त बैंक खातों में PFMS द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान हो जाती है, परन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि निजी बैंको द्वारा अन्य किसी प्रकार का चार्ज / कटौती न की जाए।
6. यथासम्भव समस्त छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खुलवाकर प्रतिष्ठान में अविलम्ब प्रेषित करें, जिससे मासिक आधार पर छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान की जा सके।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

- प्रतिलिपि :
- (1) सहायक निदेशक, शैक्षणिक, मसारावेविप्र, उज्जैन
 - (2) अनुभाग अधिकारी, शैक्षणिक, मसारावेविप्र, उज्जैन
 - (3) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं / इकाइयों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
 - (4) कार्यालय आदेश पत्रावली।